बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांकः 98 /भण्डार/2020 भोपाल, दिनांकः 16-3-2020

वाहन सेवाओं के लिये द्वितीय ई–निविदा – वर्ष 2020

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल के कार्यालयीन कार्य के उपयोग में आने वाले वाहनों की सेवाओं के लिए **ट्रेवल्स ऐजेन्सियों/फर्मो से** आन–लाइन द्वितीय ई–निविदा वर्ष–2020 आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र, निविदा शर्ते, अन्य विस्तृत जानकारी तथा निविदा में भाग लेने हेतु वेबसाईट https://mptenders.gov.in पर लाग–आन करें।

निविदा प्रपत्र का मूल्य रूपये 1,000=00 तथा सुरक्षा निधि रू. 80,000=00 हैं। इन्हें आन–लाईन जमा किया जाना है।

निविदा का अनुमानित मूल्य रूपये 40,00,000=00 है। प्रकांशन पश्चात निविदा में किसी प्रकार का संशोधन होने की स्थिति में संशोधन की जानकारी वेबसाइट पर दी जाएगी। निविदा जमा एवं खोलने सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार है:–

सं.क्रं.	विवरण	दिनांक	समय
01	Published Date	17-3-2020 9 AM	निविदा आन लाईन प्रस्तुत करने तथा खोलने का समय वेबसाईट https://mptenders.gov.in पर भी दर्शित है।
02	Document Download/Start Date	17-3-2020 9-15 AM	
03	Bid Submission Start Date	17-3-2020 9-30 AM	
04	Document Download/Sale End Date	31-3-2020 3 PM	
05	Bid Submission End Date	31-3-2020 3 PM	
06	Bid Opening End Date	01-04-2020 3-30 PM	

निविदा सम्बन्धी सामान्य जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.bubhopal.ac.in पर भी उपलब्ध है।

(डॉ. बी. भारती)
कुलसचिव

अनुभाग अधिकारी (भण्डार)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

भाग – 1
निविदा आवेदन एवं प्रक्रिया संबंधी जानकारी

1.1 निविदा प्रपत्र https://mptenders.gov.in से डाउनलोड करें। निविदा सम्बन्धी जानकारी बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल की वेब साइट www.bubhopal.ac.in पर भी उपलब्ध है।

1.2 यह निविदा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल के उपयोग के लिए स्थानीय एवं मुख्यालय से बाहर प्रति किलोमीटर की दरों पर ए.सी./नॉन ए.सी. वाहन उपलब्ध कराने के लिए ट्रेवल्स एजेन्सियों से आमंत्रित की जा रही है।

1.3 वेब–साईट https://mptenders.gov.in पर आन–लाइन पद्धति से प्रस्तुत किया जाना हैं। निविदा में किसी प्रकार का संशोधन होने की स्थिति में संशोधन की जानकारी वेब–साइट पर दी जावेगी। निविदा का अनुमानित मूल्य रू. 40,00,000=00 हैं।

1.4 निविदा आन–लाइन प्रस्तुत करने तथा खोलने का विवरण निम्नानुसार है:–

सं.क्रं.	विवरण	दिनांक	समय
01	Published Date	17-3-2020 9AM	निविदा आन लाईन प्रस्तुत करने तथा खोलने का समय वेबसाईट https://mptenders.gov.in पर भी दर्शित है।
02	Document Download/Start Date	17-3-2020 9-15AM	
03	Bid Submission Start Date	17-3-2020 9-30AM	
04	Document Download/Sale End Date	31-3-2020 3PM	
05	Bid Submission End Date	31-3-2020 3PM	
06	Bid Opening End Date	01-04-2020 3-30PM	

1.5 यदि निविदा खुलने की दिनांक को अपरिहार्य कारणों से निविदा खोली नहीं जा सकती है तो निविदाएं आगामी कार्यदिवस पर दोपहर 3–30 बजे खोली जावेगी।

1.6 **प्रक्रिया–1:** निविदा प्रपत्र का मूल्य रूपये 1,000=00 (रूपये एक हजार मात्र) हैं। सुरक्षा निधि रूपये 80,000=00 (रूपये अस्सी हजार मात्र) हैं। इन्हें आन लाईन जमा किया जाना हैं। जमा की दोनों रसीदों को निविदा के साथ अपलोड करना हैं।
उपरोक्तानुसार निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं सुरक्षा निधि राशि प्राप्त होने पर ही फर्म को प्रक्रिया–2 के लिए योग्य माना जायेगा।

1.7 **प्रक्रिया–2 :** तत्पश्चात उपरोक्त प्रक्रिया 1 में योग्य पायी जाने वाली फर्मों की ही तकनिकी निविदा देखी जावेगी। तकनिकी निविदा के भाग–2 में दर्शित दस्तावेज फर्म की सील एवं हस्ताक्षरित दस्तावेज स्केन कर अपलोड किये जाने हैं।

1.8 **प्रक्रिया–3 :** तत्पश्चात उपरोक्त प्रक्रिया 2 में योग्य पायी जाने वाली फर्मों की ही वित्तीय निविदा खोली जावेगी। वित्तीय निविदा को आन लाइन प्रस्तुत किया जाना हैं।

भण्डार अधिकारी (भण्डार)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

भाग – 2
निविदा की अर्हकारी शर्तें

2.1 ट्रेवल ऐजेन्सी/फर्म द्वारा पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2018–19, 2017–18, 2016–17) में शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में वाहन चलाने का अनुभव हो। संबंधित संस्था का कार्य आदेश/प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्रमाण स्वरूप संलग्न करें।

2.2 पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2018–19, 2017–18, 2016–17) में न्यूनतम रू0 1–20 करोड़ प्रतिवर्ष का टर्न ओवर होना अनिवार्य हैं। **ट्रेवल्स ऐजेन्सी/फर्म को टर्न ओव्हर की चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से प्रमाणित छाया प्रतिलिपि तथा आडिटेड बैलेन्सशीट तथा लेखे संलग्न करने आवश्यक है।**

2.3 पिछले तीन असेसमेन्ट वर्षो (2019–20, 2018–19, 2017–18) का आयकर रिटर्न छायाप्रति भी संलग्न करे।

2.4 ट्रेवल ऐजेन्सी/फर्म किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं से कभी भी ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। इस बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है जो रू0 100==00 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा विधिवत सत्यापित होगा। शपथ पत्र का प्रारूप संलग्न है।

2.5 (क) जी0एस0टी0 (GST) नंबर की छाया प्रति संलग्न करें।
(ख) PAN CARD (आयकर) की छाया प्रति संलग्न करें।
(घ) ट्रेवल ऐजेन्सी/फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें।

2.7 निविदा केवल निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जावेगी। निविदा प्रपत्र का मूल्य वापसी योग्य नहीं हैं।

2.8 ट्रेवल ऐजेन्सी/फर्म के पास स्वयं के कम से कम 10 वाहन (जिसमें स्वीफ्ट डिजायर, इनोवा, टवेरा, बोलेरो, सूमों, इंडिका, इंडिगों, स्कार्पियों, जायलों, बस 32 सीटर, टाटा 407 लोडिंग आदि सम्मिलित होना चाहिए) अनुबंधित एवं व्यवसायिक रूप से पंजीकृत होना चाहिए। वाहन पॉच वर्ष से अधिक पुराने न हो एवं श्रेष्ठ स्थिति में होना अनिवार्य है। यदि निर्धारित संख्या से अधिक वाहन है तो विवरण तथा पूर्ण दस्तावेज तथा जानकारी प्रपत्र ए–2 अनुसार प्रस्तुत करे। ट्रेवल्स ऐजेन्सी/फर्म को वाहनों के स्वामित्व का प्रमाण निविदा के साथ प्रपत्र ए–2 के साथ प्रस्तुत करना होगा।

2.9 सभी वाहन टेक्सी कोटे से पंजीकृत होना अनिवार्य है।

अनुभाग अधिकारी (भण्डार)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

भाग – 3
निविदा की अन्य शर्तें

3.1 सफल निविदाकार को कुल निविदा राशि की 5 प्रतिशत की निष्पादन प्रतिभूति बैंक गारण्टी के रूप में विश्वविद्यालय के पक्ष में अनिवार्य रूप से देना होगा। ट्रेवल्स ऐजेन्सी/फर्म की सुरक्षा निधि राशि रू. 80,000=00 बैंक गारन्टी के रूप में परिवर्तित होकर विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगी। बैंक गारन्टी का सत्यापन विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकता है। कार्य आदेश के पूर्व शेष राशि रू. 80,000=00 की बैंक गारन्टी सफल निविदाकार को प्रस्तुत करना होगी। अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन पर बैंक गारण्टी को राजसात कर उसका नकदीकरण किया जा सकेगा। सफल निविदाकर्ता की धरोहर राशि भी विश्वविद्यालय में सुरक्षित रहेगी।

3.2 सफल निविदाकार को विश्वविद्यालय के साथ आदेश प्राप्ति के 07 दिवस में एक अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा। निर्धारित अवधि में अनुबन्ध न करने पर उसकी बैंक गारन्टी जब्त कर ली जावेगी।

3.3 सफल निविदाकार से प्रथमतः एक वर्ष के लिए अनुबंध किया जाएगा।

3.4 विश्वविद्यालय सफल निविदाकार की कार्य क्षमता एवं सन्तोषजनक सेवा को देखते हुए, अनुबंध की अवधि को आपसी सहमति से अधिकतम 3 वर्ष तक (एक बार में एक वर्ष) के लिए भी बढ़ाया जा सकता हैं। सेवा में वृद्धि हेतु मूल दर में कोई वृद्धि मान्य नहीं होगी।

3.5 दोनों पक्षों में से यदि कोई भी पक्ष निविदा समाप्त करना चाहता है तो उसे न्यूनतम 03 माह पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा।

3.6 कार्य संतोषजनक न होने या ट्रेवल्स ऐजेन्सी/फर्म द्वारा शर्तों का पालन नहीं करने की स्थिति में ट्रेवल्स ऐजेन्सी/फर्म का कार्य आदेश बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त किया जा सकता है एवं धरोहर राशि जब्त की जावेगी।

3.7 कार्य में त्रुटि या विलम्ब होने पर निम्नानुसार दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगाः–
(क) **त्रुटिः–** निविदा में दी गई शर्तों के अनुरूप वाहन सेवा प्रदाय न करने पर देयक से 5 प्रतिशत कटौती की जाएगी।
(ख) **विलम्बः–** विलम्ब से वाहन प्रदाय करने या न करने पर उस दिन के रिये की कुल राशि का 10 प्रतिशत कटौती आगामी प्रस्तुत देयकों से की जावेगी।
(दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय कुलपति जी के विवेकाधीन होगा)।

3.8 निविदा के विनिश्चय हेतु दरें कर रहित (Without Tax) होगी। लागू करों को अलग से दर्शाया जाये।

3.9 स्वीकृत/अस्वीकृत निविदा के साथ जमा की गई धरोहर राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

3.10 ट्रेवल्स ऐजेन्सी/फर्म द्वारा प्रस्तुत किये गये देयकों के भुगतान पर नियमानुसार टी0डी0एस0 एवं अन्य करों की कटौती की जावेगी।

3.11 निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने हेतु तथ्य परक कारण बताते हुए निरस्त करने का अधिकार बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, प्रशासन के पास सुरक्षित रहेगा।

3.12 वाहनों के परमिट रजिस्ट्रेशन, बीमा एवं रोड टेक्स, पी.यू.सी. प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज का अद्यतन (UPDATE)होना अनिवार्य है। सभी परिवहन नियमों का पालन करना ट्रेवल्स एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।

अनुभाग अधिकारी (भण्डार)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

3.13 ट्रेवल्स ऐजेन्सी/फर्म के वाहन का बीमा इस प्रकार होना चाहिए, जिसमें वाहनों के बीमे के साथ वाहन में बैठने वाले सभी व्यक्तियों का बीमा भी शामिल हो।

3.14 प्रदाय किये जाने वाले वाहन का माइलोमीटर चालू स्थिति में होना अनिवार्य होगा।

3.15 ट्रेवल एजेन्सी / फर्म / वाहन चालक को वि0वि0 के नियंत्रण में रहकर वि0वि0 द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्य करना होगा।

3.16 वाहन चालक के पास वैध ड्रायविंग लायसेन्स होना अनिवार्य होगा और इस मामले में किसी भी प्रकार की कमी / त्रुटि की जवाबदारी ट्रेवल्स एजेन्सी / फर्म की होगी।

3.17 वाहन चालक को वाहन चलाने का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए और उनका व्यवहार / आचरण अच्छा होना चाहिए। वाहन चालक द्वारा दुर्व्यवहार करने पर वाहन ट्रेवल्स एजेन्सी / फर्म को "ब्लेक लिस्ट" किया जा सकेगा और इसके कारण विश्वविद्यालय को हुई क्षति की वसूली निविदा की धरोहर राशि से की जावेगी। दुर्व्यवहार करने पर वाहन चालक पर रू. 100=00 प्रतिदिन की दर से दंड अधिरोपित किया जा सकेगा।

3.18 विश्वविद्यालय की सेवाओं के दौरान वाहनों की किसी प्रकार की दुर्घटना या चोरी होने पर उससे संबंधित सेवा आदि की समस्त जवाबदारी ट्रेवल्स ऐजेन्सी/फर्म की होगी। यात्रा के दौरान वाहन खराब होने पर दो घंटे के अंदर दूसरा वाहन उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। ऐसा न करने की स्थिति में स्वयं के व्यय पर वाहन की व्यवस्था करने पर वाहन पर होने वाला समस्त व्यय ट्रेवल एजेन्सी पर भारित होगा।

3.19 ट्रेवल्स ऐजेन्सी/फर्म को टेलिफोन पर या लिखित में वाहन की मांग किसी भी समय किये जाने पर वाहन अधिकतम 2 घंटे में उपलब्ध कराना होगा। विश्वविद्यालय की आवश्यक्तानुसार अवधि के लिए ट्रेवल ऐजेन्सी को वाहन उपलब्ध कराना होगा।

3.20 यात्रा के दौरान विश्राम तथा भोजन आदि की व्यवस्था वाहन चालक / ट्रेवल्स ऐजेन्सी/फर्म को स्वयं के व्यय पर करनी होगी।

3.21 भोपाल (मुख्यालय) से बाहर जाने वाले वाहन के वापस आने तक की वास्तविक की गई यात्रा के किलोमीटर के आधार पर ही भुगतान देय होगा।

3.22 वाहन पर लगने वाले समस्त कर ट्रेवल्स ऐजेन्सी/फर्म द्वारा वहन किये जावेंगे।

3.23 सफल ट्रेवल्स ऐजेन्सी/फर्म द्वारा प्रत्येक माह देयक दो प्रतियों में कुलसचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल के नाम से प्रस्तुत करना होगा। इस देयक के साथ लागबुक / ड्यूटी स्लिप एवं उपयोगकर्ता का स्पष्ट नाम, पद तथा हस्ताक्षर सहित देयक भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जावेगा।

3.24 विश्वविद्यालय के कार्य के लिए वाहन बाहर ले जाते समय यदि कोई टोल टैक्स, पार्किंग शुल्क, परमिट शुल्क आदि का भुगतान किया जाता है तो भुगतान की रसीद मूलतः मासिक देयक के साथ प्रस्तुत करने पर वास्तविक व्यय की पूर्ति की जावेगी।

3.25 विश्वविद्यालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार/क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त कही भी, कभी भी वाहनों की मांग की जा सकती है। ट्रेवल्स ऐजेन्सी/फर्म को उस स्थान में स्वीकृत दर पर वाहन उपलब्ध कराना होगा।

3.26 प्रदाय किये वाहन के माइलोमीटर की रीडिंग कार्यस्थल से प्रारम्भ होकर कार्यस्थल पर समाप्त होगी। माइलोमीटर की रीडिंग की फोटो देयक के साथ लगाना अनिवार्य होगी।

अनुभाग अधिकारी (भण्डार)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

3.27 निविदाकारों द्वारा दी गई वित्तीय दर समान होने पर समिति स्वविवेक से पैरामीटर / प्रक्रिया निर्धारित कर सफल निविदाकर्ता के निर्धारण हेतु निर्णय लेने के लिए अधिकृत होगी। इस संबंध में किसी का दावा/आपत्ति मान्य नहीं होगी।

3.28 वाहन चालक निर्धारित वर्दी में होगा तथा वर्दी पर उसके नाम की पट्टी लगी होना चाहिए।

3.29 वाहन चालक के पास मोबाईल होना अनिवार्य है। इसका व्यय एजेन्सी द्वारा वहन किया जावेगा।

3.30 निविदा की शर्तों में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जावेगी।

3.31 निविदा प्रक्रिया के संबंध में किसी भी प्रकार की व्याख्या (Interpretation)का प्रश्न उपस्थित होने पर बरकतउल्ला विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा।

3.32 निविदा विषयक विवाद में Sole Arbitrator कुलसचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल होंगे।

3.33 न्यायालयीन विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार भोपाल न्यायालय होगा।

3.34 निविदाकारों को वित्तीय निविदा प्रपत्र ए–3 में प्रस्तुत की जाना है।

...अधिकारी (भण्डार)
...उल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

निम्नानुसार दस्तावेजों फर्म की सील एवं हस्ताक्षर सहित स्केन कापी अपलोड की जाना हैं।

सं0 क्रं0	विवरण
01	निविदा प्रपत्र के मूल्य रूपये 1000=00 आन–लाइन जमा की रसीद।
02	सुरक्षा निधि की राशि रूपये 80,000=00 आन–लाइन जमा की रसीद
03	ट्रेवल ऐजेन्सी/फर्म द्वारा पिछले तीन वित्तीय वर्षो (2018–19, 2017–18, 2016–17) में शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में वाहन चलाने का अनुभव हो। संबंधित संस्था का कार्य आदेश/प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्रमाण स्वरूप संलग्न करें।
04	पिछले तीन वित्त वर्षो (2018–19, 2017–18, 2016–17) में न्यूनतम रू0 1=20 करोड़ प्रतिवर्ष का टर्न ओवर होना अनिवार्य हैं। **ट्रेवल्स ऐजेन्सी/फर्म को टर्न ओव्हर की चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से प्रमाणित छाया प्रतिलिपि तथा आडिटेड बैलेन्सशीट तथा लेखे संलग्न करने आवश्यक है।**
05	पिछले तीन असेसमेन्ट वर्षो (2019–20, 2018–19, 2017–18) इनकम टेक्स रिटर्न छायाप्रति भी संलग्न करे।
06	ट्रेवल ऐजेन्सी/फर्म किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं से कभी भी ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। इस बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है जो रू0 1000=00 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा विधिवत सत्यापित होगा। शपथ पत्र का प्रारूप संलग्न है।
07	जी0एस0टी0 (GST) नंबर की छाया प्रति संलग्न करें।
08	PAN CARD (आयकर) की छाया प्रति संलग्न करें।
09	ट्रेवल ऐजेन्सी/फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें।
10	निविदा प्रपत्र ए–1
11	ट्रेवल ऐजेन्सी/फर्म के पास स्वयं के कम से कम 10 वाहन (जिसमें स्वीफ्ट डिजायर, इनोवा, टवेरा, बोलेरो, सूमों, इंडिका, इंडिगों, स्कार्पियों, जायलों, बस 32 सीटर, टाटा 407 लोडिंग आदि सम्मिलित होना चाहिए) अनुबंधित एवं व्यवसायिक रूप से पंजीकृत होना चाहिए। वाहन पॉच वर्ष से अधिक पुराने न हो एवं श्रेष्ठ स्थिति में होना अनिवार्य है। यदि निर्धारित संख्या से अधिक वाहन है तो विवरण तथा पूर्ण दस्तावेज तथा जानकारी **प्रपत्र ए–2** अनुसार प्रस्तुत करे। ट्रेवल्स ऐजेन्सी/फर्म को वाहनों के स्वामित्व का प्रमाण निविदा के साथ **प्रपत्र ए–2** के साथ प्रस्तुत करना होगा।

अनुभाग अधिकारी (भण्डार)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

पत्र ए–1
(निविदा प्रपत्र)

प्रति,

कुलसचिव,
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

विषयः– वाहन सेवा प्रदाय हेतु निविदा वर्ष–2020 बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि हमारी ट्रेवल्स एजेन्सी/फर्म की जानकारी निम्नानुसार हैः–

सं0 क्रं0	विवरण	
01	फर्म का नाम	
02	पत्र व्यवहार का पता	
03	ट्रेवल्स एजेंसी/फर्म के प्रतिनिधि का नाम	
04	पदनाम	
05	दूरभाष नम्बर (मोबाईल एवं लैन्डलाईन)	
06	ई–मेल	

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि निविदा के भाग "1", "2", "3" में दर्शित शर्तों के अनुसार विश्वविद्यालय की लिये वाहन सेवा प्रदाय हेतु निविदा वर्ष–2020 का कार्य पूर्णतः करने को अपनी सहमति प्रदान करते हैं।

फर्म के अधिकृत हस्ताक्षर एवं सील

अनुभाग अधिकारी (भण्डार)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

प्रपत्र ए–2

सं.क्रं.	वाहन का प्रकार	एजेन्सी / फर्म में व्यावसायिक वाहन का पंजीयन क्रमांक	निर्मित वर्ष (माडल वर्ष)	वाहन का बीमा	एजेन्सी / फर्म मालिक का नाम
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					

अनुभाग अधिकारी (भण्डार)
[illegible]तउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

शपथ पत्र नोटरी से सत्यापित
रू. 100/– के स्टाम्प पेपर पर

मैं——————————————द्वारा प्रोप्राइटर मेसर्स———————————————

निम्नलिखित कथन शपथ लेकर कहता हूँ कि:–

(1) यह कि ट्रेवल्स ऐजेन्सी/फर्म को किसी भी शासकीय संस्था/उपक्रम से कभी भी ब्लैकलिस्टेड नहीं किया गया हैं।

(2) यह कि ट्रेवल्स ऐजेन्सी/फर्म पर सम्बन्धी कोई कानूनी विवाद में न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया ।गया है।।

(3) यह कि ट्रेवल्स ऐजेन्सी/फर्म पर किसी शासकीय संस्था/उपक्रम/बैंक से दिवालिया घोषित नहीं किया गया है।

(4) यह कि निविदा में प्रस्तुत अथवा शपथ पत्र में पाई गई जानकारी असत्य पाये जाने पर मेरी निविदा को निरस्त करने का अधिकार बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल को होगा।

शपथग्रहीता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथग्रहीता सत्यापित करता हूँ कि मेरे द्वारा निष्पादित उक्त शपथ पत्र के बिन्दु (1) से (4) में वर्णित कथन मेरे निजी ज्ञान व विश्वास अनुसार पूर्ण सत्य हैं।

शपथग्रहीता

भाग अधिकारी
तउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

प्रपत्र ए–3

(वित्तीय निविदा)

ट्रेवल एजेन्सी /फर्म का नाम	

सं.क्रं	वाहनों का प्रकार एवं दरें	स्थानीय/बाहर 4 घण्टे 50 कि0मी0	स्थानीय/बाहर 4 घण्टे 50 कि0मी0 के अतिरिक्त प्रतिकिलोमीटर	स्थानीय/बाहर 8 घण्टे 80 कि0मी0	स्थानीय/बाहर 8 घण्टे 80 कि0मी0 के अतिरिक्त प्रति किलोमीटर	स्थानीय/बाहर 12 घण्टे 100 कि0मी0	स्थानीय/बाहर 12 घण्टे 100 कि0मी0 के अतिरिक्त प्रतिकिलोमीटर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जीप / बोलरों / सूमों समकक्ष नॉन ए.सी. के समकक्ष						
2	इंडिका नान ए.सी. के समकक्ष						

उल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
(प्रशासन) आवास ...

3	इंडिका ए.सी. के समकक्ष						
4	इंडिगो / स्वीफ्ट डिजायर नान ए.सी. के समकक्ष						
5	इंडिगो / स्वीफ्ट डिजायर ए.सी. के समकक्ष						
6	टवेरा / स्कार्पियों नान ए.सी. के समकक्ष						
7	टवेरा / स्कार्पियों ए.सी. के समकक्ष						
8	इनोवा / टाटा सफारी नान एसी के समकक्ष						
9	इनोवा / टाटा सफारी एसी के समकक्ष						
10	बस 32 सीटर नान एसी						
11	बस 32 सीटर एसी						
12	टाटा 407 लोडिंग हुड सहित						

1	कर का नाम एवं दर	
2	कर का नाम एवं दर	
3	कर का नाम एवं दर	

		9	मुख्यालय के बाहर प्रति कि0मी0 काल 3 से 8 के अतिरिक्त
		10	वाहन की प्रतिमाह किराये पर लेने की दर 01 से 1000 किलोमीटर तक
		11	वाहन की प्रतिमाह किराये पर लेने की दर 1000 किलोमीटर से अधिक पर प्रति किलोमीटर
		12	वाहन की प्रतिमाह किराये पर लेने की दर 01 से 1800 किलोमीटर तक
		13	वाहन की प्रतिमाह किराये पर लेने की दर 1800 किलोमीटर से अधिक पर प्रति किलोमीटर
		14	वाहन की प्रतिमाह किराये पर लेने की दर 01 से 2200 किलोमीटर तक
		15	वाहन की प्रतिमाह किराये पर लेने की दर 2200 किलोमीटर से अधिक पर प्रति किलोमीटर
		16	नाईट हाल्ट की दर

रुपये में

[illegible]भाग अधिकारी (भण्डार)
[illegible]तउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल